



Neutral Citation No.- 2026:AHC:129695

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21896 वर्ष 2026

रविकांत

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	विपुल कुमार मिश्र
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 164 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 191(1), 191(2), 115(2), 127(2), 333, 324(3), 352, 61(2), 121(2), 131, 125, 285, 195(1), 190, 191(3), 324(4), 324(5), 109(1), 326 (एफ) बीएनएस और धारा 7 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम और धारा 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पुलिस स्टेशन- फेज-2, जिला- मध्य (कमिश्नरेट), गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कथित तौर पर, एक दंगा करने वाली भीड़ के विरुद्ध। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, आवेदक का नाम अन्य आरोपियों विजय मौर्य, अंकेश रावत और शिव कुमार उर्फ शिवा के साथ सामने आया, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध आवेदनों संख्या 20080 वर्ष 2026, 20101 वर्ष 2026 और 20603 वर्ष 2026 में जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का मामला सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपियों के समान है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का मामला सह-आरोपियों के मामले के बराबर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक 14 अप्रैल, 2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि संबंधित घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसमें एकत्रित भीड़ ने बाहर संपत्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट किया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच से आवेदक की पहचान हो गई है और यहां तक कि व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुई हैं, जो घटना में आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती हैं, जिसने घटना में सुनियोजित तरीके से भाग लिया था। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह की स्थिति वाले तीन सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदक 9.5.2026 से जेल में है। आवेदक के विरुद्ध वर्तमान मामले से पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी विजय मौर्य, अंकेश रावत और शिव कुमार उर्फ शिवा को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, *प्रथम दृष्टया* जमानत का मामला बनता है।

8. अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** कर लिया गया है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल आरोपित-आवेदक **रविकांत** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक संबंधित न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी, रिहा किया जाएगा।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून 2026

कृष्ण*